# ग्राम पंचायत समूरकलां, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 4/2013 से 3/2016

## भाग–एक

### 1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत समूरकलां विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

**प्रधान :–**

| क्र0 सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | मनोहर लाल | 1.4.2013 से 22.1.2016 |
| 2. | श्रीमति रीता रानी | 23.1.2013 से अघतन |

**सचिव :–**

| क्र0 सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री राजेश कुमार | 1.4.2013 से अघतन |

### (ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

| क्र0 सं0 | पैरा सं0 | अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1. | 7 | खाता (ख) के अर्जित ब्याज को खाता (क) में अन्तरित न करना | 1.11 |
| 2. | 8 | अनुदानों को उपयोग न करना | 6.15 |
| 3. | 9 | औपचारिकताओं को पूर्ण किए बगैर स्टॉक/स्टोर का क्रय करना | 3.62 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | 10 | टैक्टर मालिकों को संदिग्ध एवं अनियमित भुगतान | 2.74 |
| 5. | 11 | पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना | 0.23 |

## भाग–दो

### 2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत समूरकलां, विकास विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 16.8.2016 से 19.8.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 9/13, 9/14, 10/15 व 3/14, 9/14, 11/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

### 3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत समूरकलां, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अधियाचना संख्या : 244, दिनांक 16.8.2016 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत समूरकलां से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव ग्राम पंचायत समूरकलां द्वारा के0सी0सी0बी0 ऊना के बैंक ड्राफ्ट संख्या : 312437, दिनांक 17.8.2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित किया गया है।

### 4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत समूरकलां द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

**(1) स्वः स्त्रोत :–**

ग्राम पंचायत समूरकलां के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | 484251.47 | 86655 | 570906.37 | 162969 | 407937.47 |
| 2014–15 | 407937.47 | 62131 | 470068.47 | 347020 | 123048.47 |
| 2015–16 | 123048.47 | 104891 | 227939.47 | 121066 | 106873.47 |

**(2) अनुदान :–**

ग्राम पंचायत समूरकलां के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | 341930.20 | 2428521 | 2770451.20 | 2280060.00 | 490391.20 |
| 2014–15 | 490391.20 | 1861944 | 2352335.20 | 1885395.20 | 466940.00 |
| 2015–16 | 466940.00 | 3855867 | 4322807.00 | 3707800 | 615007.00 |

## 4.1 बैंक समाधान विवरणी :–

जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत समूरकलां द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) के अनुसार पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अनिवार्य है। अतः मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्रत्येक माह, मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

(i) दिनांक 31.3.2016 को स्वः स्त्रोत वित्तीय स्थिति = 106873.47

(ii) दिनांक 31.3.2016 को अनुदान वित्तीय स्थिति पैरा–4(2) के अनुसार अन्तशेष = 615007

**कुल योग ₹721880.47**

**<u>अन्तशेष का विवरण :–</u>**

दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष का विवरण निम्नानुसार है।

| क्र0 सं0 | बैंक का नाम | खाता सं0 | (₹) |
|---|---|---|---|
| 1. | के0सी0सी0वी0 ऊना | 20013012843 | 571543.90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | –यथोपरि– | 20013072132 | 159886 |
| 3. | –यथोपरि– | 50051710032 | 1932 |
| 4. | डाकघर ऊना | – | 41.42 |
| 5. | हस्तगत रोकड़ | – | 477.15 |
| | | **कुल योग** | **₹733880.47** |
| | **दिनांक (₹721880.47–₹733880.47)=** | | **₹12000** |

**अन्तर का कारणः–**

| | |
|---|---|
| दिनांक 26.3.2016 को चैक संख्या : 321085 जारी किया गया, लेकिन दिनांक 31.3.2016 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | **₹12000** |

**4.2** दिनांक 31.3.2016 को अन्तिम खातों की प्रदान की गई सूचना के अनुसार डाकघर ऊना में दिनांक 31.3.2016 को ₹41.42 का अन्तिम शेष दर्शाया गया है, लेकिन उक्त खाता अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप उक्त खाते में शेष दर्शाई गई राशि की वास्तविकता की सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः वान्छित खाता आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 5. बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

## 6. पंचायत राजस्व गृहकर ₹0.03 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

सचिव ग्राम पंचायत समूरकलां द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹3050 निम्नानुसार वसूली हेतु शेष थी।

| वर्ष | अथशेष | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | 22305 | 8400 | 30705 | 29440 | 1265 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | 1265 | 9000 | 10265 | 8500 | 1765 |
| 2015–16 | 1765 | 8975 | 10740 | 7690 | 3050 |

अतः गृहकर के रूप में ₹3050 की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

## 7. खाता (ख) के ब्याज ₹1.11 लाख को खाता (क) में अन्तरित न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रति वर्ष, मास : जनवरी तथा जुलाई में पचायत द्वारा खाता 'ख' से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु ग्राम पंचायत समूरकलां के खातों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निम्नानुसार अनुदानों पर प्राप्त ब्याज की ₹110816 को स्वयं संसाधनों के खाता 'क' को अन्तरित नहीं किया गया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से खाता 'ख' के बैंक खातों में अर्जित ब्याज को खाता 'क' में आन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

| क्र0 सं0 | वित्तीय वर्ष | योजना | आई0डब्ल्यू0एम0पी0–VI | मनरेगा | आई0ए0वाई0 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2013–14 | 32247 | 8994 | 1296 | 910 | 43447 |
| 2. | 2014–15 | 28392 | 7921 | 364 | 872 | 37549 |
| 3. | 2015–15 | 23445 | 6225 | – | 150 | 29820 |
| | **योग** | **₹84084** | **₹23140** | **₹1660** | **₹1932** | **₹110816** |

## 8. अनुदान ₹6.15 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1'** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹615007 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि

बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

## 9. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.62 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'2'(i** से **iii)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹362069 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 10. ₹2.74 लाख का टैक्टर मालिकों को संदिग्ध एवं अनियमित भुगतान :–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत विभिन्न मासों में परिशिष्ट–3 में दिए गए विवरणानुसार ₹273826 का व्यय विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु सामान की ढुलाई, मिक्सचर किराया व शटरिंग को किराये पर लेने के लिए किया गया है। उक्त व्यय वाउचरों की जांच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियां पाई गईं, जिनका निराकरण किया जाए।

**(i)** परिशिष्ट–3 में दिए गए विवरणानुसार क्रम संख्याः 1 से 5, 7, 8 व 10 से 14 पर उल्लेखित क्रैशर से सामग्री की ढुलवाई हेतु 168 फेरों (Trip) के रूप में ₹170600 का भुगतान किया गया है, लेकिन रसीदों में यह उल्लेखित नहीं है कि क्या सामान व कितनी मात्रा में ढुलवाया गया है। केवल फेरों (Trip) की संख्या व दर ही उल्लेखित है। सामान का विवरण व मात्रा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तविक रूप में कितनी मात्रा में क्या–क्या सामान/सामग्री क्रय की गई है व एक फेरे में कितनी मात्रा लाई गई है। सामान का विवरण व मात्रा के अभाव में फेरों के रूप में टैक्टर मालिकों को किया गया भुगतान संदिग्ध एवं अनियमित प्रतीत होता है। अतः क्रैषर से सामान की ढुलवाई से सम्बन्धित वान्छित अभिलेख सामान की मात्रा एवं विवरण सहित आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि सामान की मात्रा एवं विवरण के साथ टैक्टर मालिकों को ढुलवाई के रूप में किए गए भुगतानों को उचित ठहराया जा सके व मात्रा से अधिक दर्शाए गए फेरों (Trip) की एवज में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्भव हो सके।

**(ii)** परिशिष्ट–3 में दिए गए विवरणानुसार क्रम संख्या : 3 से 6 पर उल्लेखित शटरिंग के रूप में ₹8700 का भुगतान किया गया है, लेकिन रसीदों में शटरिंग के रूप में प्लेटों की संख्या, दर व कितने दिनों हेतु शटरिंग किराये पर ली गई है, का विवरण उल्लेखित नहीं है। उक्त विवरण के अभाव में शटरिंग के रूप में भुगतान दर्शाई गई राशि को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता एवं किसी भी अधिक भुगतान की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता। अतः शटरिंग से सम्बन्धित वान्छित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी अधिक भुगतान की सम्भावना को नकारा जा सके। किसी भी अधिक भुगतान की अवस्था में अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

**(iii)** हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं, लेकिन परिशिष्ट–3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा क्रम संख्या : 1 से 14 पर उल्लेखित व्यय ₹273826 की सामग्री ढुलवाई/सामग्री किराये पर लेने से पूर्व निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः व्यय करने से पूर्व निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

## 11. पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई ₹0.23 लाख के सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियां दर्ज न होना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय/प्राप्त किए गए सामान की प्रविष्टियां स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय/वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट–4 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹22700 का स्टॉक/स्टोर क्रय किया गया, लेकिन उक्त सामान की स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में प्राप्ति प्रविष्टियां नहीं की गई। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 12. बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारे :–

विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत विभिन्न मासों के दौरान सामान्य निधि रोकड़ वही से पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹63125 का भुगतान किया गया है।

| क्र0 सं0 | वा0 सं0/ दिनांक | पंचायत प्रतिनिधि का नाम | पद | राशि | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 156, 22.3.14 | श्री मनोहर लाल | प्रधान | 10800 | 1.7.13 से 31.12.13 |
| 2. | 157, 22.3.14 | श्री संसार चन्द | उप–प्रधान | 9000 | –यथोपरि– |
| 3. | 158, 22.3.14 | श्रीमति आशा देवी | पंचायत सदस्य | 2100 | –यथोपरि– |
| 4. | 159, 22.3.14 | श्रीमति सोमा देवी | –यथोपरि– | 2100 | –यथोपरि– |
| 5. | 160, 22.3.14 | श्रीमति गुरमीत कौर | –यथोपरि– | 2100 | –यथोपरि– |
| 6. | 161, 22.3.14 | श्री मुकेश कुमार | –यथोपरि– | 1925 | –यथोपरि– |
| 7. | 162, 22.3.14 | श्री चरण जीत | –यथोपरि– | 2100 | –यथोपरि– |
| 8. | 153, 2.11.15 | श्री मनोहर लाल | प्रधान | 12600 | 1.4.15 से 30.9.15 |
| 9. | 154, 2.11.14 | श्री संसार चन्द | उप–प्रधान | 10800 | –यथोपरि– |
| 10. | 155, 2.11.15 | श्रीमति आशा देवी | पंचायत सदस्य | 2400 | 1.4.15 से 30.9.15 |
| 11. | 156, 2.11.15 | श्रीमति गुरमीत कौर | –यथोपरि– | 2400 | –यथोपरि– |
| 12. | 168, 9.11.15 | श्रीमति सोमा देवी | –यथोपरि– | 2400 | –यथोपरि– |
| 13. | 169, 9.11.15 | श्री चरण जीत | –यथोपरि– | 2400 | –यथोपरि– |
| | | | **कुल योग** | **₹63125** | |

उपरोक्त क्रम संख्या : 1 से 13 पर उल्लेखित ₹63125 के पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय के रूप में किए गए भुगतानों से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। बिल/वाउचरों के अभाव में उपरोक्त उल्लेखित भुगतानों को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः वान्छित बिल/वाउचर सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए, ताकि मानदेय के रूप में भुगतान दर्शाई गई राशि की पुष्टि सम्भव हो सके।

## 13. टी0डी0एस0 की कटौती न करना :–

आयकर की धारा 194(सी0) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹30000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1%

की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अपेक्षित है व धारा 194(सी) किसी भी कार्य हेतु किए गए सभी प्रकार के अनुबन्धों चाहे वह लिखित हो अथवा मौखिक हो पर लागू होती है, जैसे कि विज्ञापन, कैटरिंग, ट्रास्पोर्ट, लेबर व सेवा कार्य व सामान इत्यादि का अनुबन्ध। आयकर की धारा 194(सी) में विहित प्रावधान की अनुपालना न करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक विभिन्न व्यक्तियों, ठेकेदारों व फर्मों से टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई थी, जिसके कारण सरकारी कोष से कई हजारों रूपये टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में आयकर की धारा 194(सी) के प्रावधानों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

## 14. रोकड़ वही का निर्माण नियमानुसार न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या : 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या : 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जाएगा, परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही तैयार की गई है, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 15. वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत समूरकलां द्वारा नहीं किया गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत समूरकलां के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 16. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उपनियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित हो सके। ग्राम पंचायत द्वारा सहभागी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे।

(i) सम्बन्ध ग्राम पंचायत का प्रधान/उपप्रधान

(ii) सम्बन्ध वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य

(iii) महिला मण्डल से एक सदस्य

(iv) युवक मण्डल से एक सदस्य

(v) सम्बन्ध क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक शिक्षक

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत समूरकलां द्वारा किसी भी निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया है व सभी कार्य सहभागी समिति के बगैर ही स्वयं करवाए गए हैं, जोकि पंचायत राज अधिनियम 2002 के अध्याय–11 के उपनियम–93 व पारदर्शिता नियमों की अवहेलना है। अतः प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यों को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उपनियम 93(बी0) के अनुसार पंजीकृत संस्थ्था जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल व वाटर शैड विकास कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

### 16.1 स्टोर/सामान का क्रय व उपायन के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67(3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित रीति से एक उपसमिति गठित करेगी।

(क) ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उपप्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निदृिष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव।

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत समूकलां द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन के प्रत्येक प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन नहीं

किया गया है, जोकि पंचायत राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67(3) की गम्भीर अवहेलना है। अतः स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन उप समिति के गठन के बिना करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि दिनांक 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय किए गए स्टोर (सामान) को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67 की अनुपालना होने के साथ–साथ स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 17. माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार न करना :–

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह विकास कार्य हेतु लाखों रूपये की सामग्री जैसे कि रेत, बजरी, बजरा, पत्थर, सीमेंट, ईटें इत्यादि खरीदा गया, लेकिन माप पुस्ताकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि जिस कार्य हेतु प्राकलन के आधार पर जितनी मात्रा में सामग्री खरीदी गई थी। क्या वास्तव में उतनी ही मात्रा में सामग्री का उपयोग हुआ था। अतः भविष्य में माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

## 18. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख का रख–रखाव न करना :–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम–2005 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य था।

(i) सम्पदा रजिस्टर (B–9)

(ii) शिकायत रजिस्टर (B–11)

ग्राम पंचायत समूरकलां द्वारा उपरोक्त उल्लेखित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया व न ही उक्त अभिलेख तैयार किया गया है, जोकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम–2005 के नियमों की अवहेलना है। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वान्छित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 19. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था, लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

| क्र0 सं0 | रजिस्टर/अभिलेख | फार्म सं0 | संदर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| 1. | निवेश रजिस्टर | 1 | 12 |
| 2. | अस्थाई अग्रिम रजिस्टर | 9 | 30 |
| 3. | निर्माण कार्यों का रजिस्टर | – | 103 |
| 4. | मासिक समाधान विवरणी | – | 15 |
| 5. | विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते | 7 | 29(1) |
| 6. | मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर | 10 | 33 व 77(4) |
| 7. | अनुदान रजिस्टर | 21 | 61(1) |
| 8. | डाक टिकट रजिस्टर | 24 | 61(2) |
| 9. | स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर | 25 व 26 | 72(1) |
| 10. | निर्माण कार्यों की तकनीकि स्वीकृति का रजिस्टर | 31 | 95(1) |

## 20. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21. **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

22. **निष्कर्ष :–** लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त रोकड वहियों का रख–रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के अध्याय–2 नियम–4 के अनुरूप रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(v)12/2016, खण्ड–1–5497–5500 दिनांकः 17.10.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

**पंजीकृत**

1. सचिव, ग्राम पंचायत समूरकलां, विकास खण्ड ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.